न्यायमूर्ति जी. *सी. मित्तल और* एस. *एस. ग्रेवाल, के समक्ष*

मेसर्स जगदीश चंदर अग्रवाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

आकलन प्राधिकरण, छूट और कर अधिकारी, चंडीगढ़ और एक *और,-उत्तरदाता।*

1990 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 15165।

27 फरवरी, 1991

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227–सिविल *प्रक्रिया संहिता,* 1908- आदेश *2, नियम 2–रखरखाव-रिट क्षेत्राधिकार-अतिरिक्त* आधार लेते *हुए दायर* की *गई दूसरी याचिका-याचिका को दर्ज नहीं किया जा सकता है-उचित उपाय पहले की याचिका में संशोधन की मांग करना है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कानून के सामान्य सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि सभी बिंदुओं को एक ही रिट याचिका में उठाया जाना चाहिए और बिंदुओं पर टुकड़ों में विचार नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त आधार के साथ दूसरी रिट याचिका दायर करना उपाय नहीं है और इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं।

एक अन्य रिट याचिका पर विचार करने के लिए। यदि याचिकाकर्ता ने पहले की रिट याचिका में कुछ बिंदु छोड़ दिया है, तो इसके लिए उचित उपाय संशोधन की मांग करना है।

(पैरा 3 &4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है किः–

(i) पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 39 को ध्यान में रखते हुए गेहूं को कर मुक्त वस्तु घोषित करने के लिए एक उपयुक्त लिखित

आदेश या निर्देश जारी करें, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 31 के तहत अधिसूचना के बिना कर नहीं लगाया जा सकता है।

(ii) 42 एस. टी. सी. 429 के रूप में रिपोर्ट की गई पूर्ण पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया।

(iii) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से मुक्ति दी जाए।

(iv) कृपया अनुलग्नक पी/एल की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए।

(v) इस मामले की परिस्थितियों में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझता है और याचिका के खर्च की अनुमति दी जा सकती है।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, वसूली की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौकत अली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, हरभगवान सिंह।

प्रतिवादी की ओर से श्री ए. के. मित्तल और अधिवक्ता

अजय तिवारी के साथ आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता

न्याय

न्यायाधीश गोकल चंद मित्तल

(1) याचिकाकर्ता ने पहले पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत गेहूं के कारोबार पर इस आधार पर कर लगाने को चुनौती देने के लिए 1990 की

सिविल रिट याचिका संख्या 4420 दायर की थी कि यह एक कृषि उपज है और अधिनियम की अनुसूची-बी की प्रविष्टि 39 को देखते हुए कर योग्य नहीं है। उस रिट याचिका में रोक की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था ।

(2) अब यह रिट याचिका उसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है ~और अतिरिक्त आधार यह उठाया गया है कि पहले की रिट याचिका में यह मुद्दा नहीं उठाया गया था कि अधिनियम की धारा 31 के तहत अधिसूचना के बिना गेहूं पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

(3) अधिनियम के तहत गेहूं पर कर लगाने की चुनौती है और कानून के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार सभी बिंदुओं को एक ही रिट याचिका में उठाया जाना चाहिए और बिंदुओं पर टुकड़ों में विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरी रिट याचिका दायर करना फिर से स्थगन प्राप्त करने का प्रयास प्रतीत होता है जो कि पहले की रिट याचिका में नहीं दिया गया था। वास्तव में मोशन बेंच ने 28 नवंबर, 1990 को वसूली पर रोक लगा दी थी, लेकिन 25 जनवरी, 1991 को रोक को अस्वीकार कर दिया गया था।

(4) मामले पर विचार करने पर, हम एक अन्य रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। यदि याचिकाकर्ता ने पिछली रिट याचिका में कुछ बिंदु छोड़ दिया है, तो उसका उचित उपाय संशोधन की मांग करना है। निश्चित रूप से नई रिट याचिका दायर करना कोई उपाय नहीं है।

(5) इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

आर एन आर।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा